इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 8 जनवरी 2015—पौष 18, शक 1936

कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 जनवरी 2015

क्र. एफ-1-33-2013-बावन-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश हाथकरघा एवं हस्तशिल्प संचालनालय राजपत्रित सेवा भर्ती नियम, 2014 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची-चार में पद वरिष्ठ निज सहायक तथा उससे संबंधित प्रविष्ठियों के पश्चात्, निम्नलिखित पद तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के अंत में जोड़ी जाए, अर्थात् :—

विभाग का नाम	उस सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पदोन्नित की पात्रता के लिए किनष्ठ पद पर कार्य करने की न्यूनतम अवधि	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
हाथकरघा संचालनालय	निज सहायक	वरिष्ठ निज सहायक		 मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा कोई नामनिर्दिष्ट सदस्य—अध्यक्ष. मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव—सदस्य. आयुक्त/संचालक, हाथकरघा—सदस्य.
				 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के समतुल्य पद श्रेणी का एक नामनिर्दिष्ट सदस्य—सदस्य.

No. F-1-33-2013-LII-1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Directorate of Handloom and Handicraft (Gazetted) Service Recruitment Rules, 2014, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in Schedule-IV, after the post senior Personal Assistant and entries relating thereto, the following post and entries relating thereto shall be added at the end, namely:—

Name of the Department	Name of the Service or post from which promotion is to be made	Name of the Service or post to which promotion is to be made	Minimum period of experience of work on the lower post eligible for promotion (4)	Name of the Members of the Departmental Promotion Committee
Directorate of Handloom	Personal Assistant	Senior Personal Assistant	5 years	Chairman of the Madhya Pradesh Public Service Commission or any Member thereof nominated by him—Chairman.
			2	2. Additional Chief Secretary / Principal Secretary / Secretary, Government of Madhya Pradesh, Cottage and Rural Industries Department—Member.
			3	3. Commissioner / Director, Handloom— Member.
				4. One nominated member beloning to Scheduled Castes / Scheduled Tribes of equivalent rank—Member.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कुसुम ठाकुर, उपसचिव.